माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / सं.अ.सं. / 236

दिनांक 13 / 08 / 2020

सूचना

(सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु)

सत्र 2020–21 में प्रवेश लेने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक 559 / 140 / आउशि / अकादमी / 2020, भोपाल, दिनांक 05 / 08 / 2020 के अनुसार प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि अपनी संस्थाओं में कोविड–19 के लिए जारी की गई राज्य शासन की गाइड लाईन का पूर्ण पालन सुनिश्चित करते हुए नये सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020–21 के लिए जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार प्रथम वर्ष (सेमेस्टर) में प्रवेश लेने वाले के छात्रों के लिए कक्षाएं लेने की तिथि 1 अक्टूबर 2020 एवं द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (सेमेस्टर) के छात्रों के लिए 1 सितम्बर 2020 घोषित की गई है (संलग्न)। अतः तदानुसार ऑनलाईन के माध्यम से कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारंभ करें।

कृपया ध्यान रखें कि जिन संस्थाओं द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किया गया है और जो संस्थाएँ किसी अन्य कारण से ''नो एडमिशन कैटेगरी'' में नहीं है केवल वही संस्थाएँ नये सत्र में छात्रों को प्रवेश देने के लिए पात्र रहेंगी।

संलग्नः आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश का पत्र

MKMaheshwari

(प्रो. डॉ. मनीष माहैश्वरी)
निदेशक

पृ. / क्रमांक / सं.अ.सं. / 237

दिनांक 13 / 08 / 2020

प्रतिलिपि–

1. वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
2. निज सचिव, कुलपति / कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।

MKMaheshwari

(प्रो. डॉ. मनीष माहैश्वरी)
निदेशक

बी / 38, प्रेस कॉम्लेक्स, विकास भवन, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल–462011 , फोन : (0755) 4058194, 4291628, फैक्स : 2561970
B-38, Press Complex, Vikas Bhawan, Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal-462011, Phone-(0755) 4058194, 4291628, Fax : 2561970
website – www.mcu.ac.in

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 558/140/आउशि/अकादमी/2020 भोपाल, दिनांक 05/08/2020

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश।

विषयः- ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया 2020-21 के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:- 1. पत्र क्रमांक 554/140/आउशि/शा-5 'अ'/2020 भोपाल दिनांक 04.08.2020
2. पत्र क्रमांक 556/286/आउशि/अका./2020 भोपाल दिनांक 04.08.2020

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के अनुक्रम में समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन दिनांक 05.08.2020 से आरंभ हो गया है। सत्यापन केन्द्रों पर प्रथम चरण के अन्तर्गत दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य घोषित समय सारणी अनुसार दिनांक 05.08.2020 से 21.08.2020 तक सम्पन्न किया जाएगा।

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 667/175/सी.सी/18/38 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10 + 02 परीक्षा गणित विषय के साथ किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान, जीव विज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

कोरोना (कोविड--19) के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सा.प्र.वि./484/2020/1/9 भोपाल दिनांक 11 मई 2020 के परिपालन में शासकीय कार्य पर उपस्थित होने हेतु दिव्यांग कर्मचारियों को छूट प्रदान की गयी है।

कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त करने हेतु समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश को विभाग द्वारा पत्र भेजा गया है। अतः आवश्यकता होने पर प्राचार्य जिला प्रशासन का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

05/8/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपिः-

पृ0क्रमांक 559/140/आउशि/अकादमी/2020 भोपाल, दिनांक 05/08/2020

1. स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. निज सहायक अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.।
5. कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल भोपाल (म.प्र.)
6. प्राचार्य समस्त अग्रणी महाविद्यालय म.प्र.।
7. वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

---की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

कमांक 566/182/आउशि/अकादमी/2020 भोपाल, दिनांक 09/08/2020

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय (हेल्पसेंटर)
मध्यप्रदेश।

विषयः– सत्र 2020–21 के लिए संचालित ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के संबंध में निर्देश।

संदर्भः– 1. आदेश कमांक 949/2020/सी.सी/2020/अडतीस भोपाल, दिनांक 31.07.2020

2. पत्र कमांक 554/140/आउशि/शा–5 'अ'/2020 भोपाल दिनांक 04.08.2020

3. पत्र कमांक 556/286/आउशि/अका./2020 भोपाल दिनांक 04.08.2020

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देशों के तारतम्य में लेख है कि सत्र 2020–21 की ऑनलाईन ई–प्रवेश एवं एन.सी.टी.ई. के पाठ्यकमों की प्रवेश प्रकिया के संबंध में विविध दिशा निर्देश जारी किये गये है। कोरोना (कोविड–19) के संकमण को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेंटर) में निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

1. एक कक्ष में एक ही काउन्टर बनाया जाए।
2. प्रत्येक काउंटर के सामने दो–दो गज की दूरी पर चिन्हित कर गोले बनाए जाए। आवेदकों को चिन्हित स्थान पर खडे होने के लिए निर्देशित किया जाए।
3. समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं आवेदकों को मास्क का उपयोग अनिवार्य किया जाए।
4. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कॅनिग के पश्चात् ही प्रवेश प्रदान किया जाए। तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाने पर संबंधित को स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जाए।
5. शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन किया जाए।
6. महाविद्यालय भवन में प्रतिदिन सेनिटाइज कराने की व्यवस्था की जाए।
7. महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध प्रसाधन एवं पेयजल स्थल को स्वच्छ रखते हुए अधिक से अधिक सेनिटाईज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
8. सत्यापन स्थल पर उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों/उपकरणों को अधिक से अधिक सेनिटाइज कराने की व्यवस्था की जाए।
9. आवेदकों को महाविद्यालय प्रवेश द्वार में ही टोकन वितरण की व्यवस्था कर सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए प्रतीक्षा स्थल पर बैठनें की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
10. आवेदकों के सत्यापन के लिए लम्बी–लम्बी लाइनें न लगने दी जाए।

11. सत्यापन संबंधी सूचनाओं के प्रसारण के लिए ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग किया जाए। सूचना पटल पर सूचनाएं प्रदर्शित/चस्पा न की जाए।

12. जिन महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक स्टॉफ एवं कर्मचारी हैं, वहाँ पर रोटेशन से ड्यूटी लगाई जाए। महाविद्यालय में अनावश्यक शैक्षणिक स्टॉफ एवं कर्मचारियों को आमंत्रित न किया जाए।

13. महाविद्यालय परिसर में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं आवेदकों को संक्रमण से सुरक्षित रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

9/8/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 567/182/आउशि/अकादमी/2020 भोपाल, दिनांक 09/08/2020

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक,माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट – 2

सत्र 2020–21 अकादमिक कैलेण्डर

(वार्षिक पद्धति–स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

स.क्र	विवरण	तिथि
1.	प्रवेश प्रारंभ	अगस्त 2020
2.	शिक्षण कार्य प्रारंभ	प्रथम वर्ष हेतु 01 अक्टूबर 2020 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष हेतु 01 सितम्बर 2020
3.	स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश बन्द	30 सितम्बर 2020
4.	संकाय परिवर्तन/विषय परिवर्तन/प्रवेश समस्या निवारण शिविर (केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हेतु)	प्रवेश समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह तक
	छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/ खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ	
1	छात्रसंघ गठन	नवम्बर 2020
2.	विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संभाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं	ये सभी गतिविधियां माह दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर ली जाएं।
3.	खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस/युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ	
4.	वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	फरवरी द्वितीय सप्ताह 2021 (अधिकतम 04 कार्य दिवस)
	आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीक्षाएँ	
1.	पूरक परीक्षा प्रारंभ	16.10.2020 से 23.10.2020
2	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	नवम्बर 2020
3	तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	दिसम्बर प्रथम सप्ताह 2020
4	छःमाही आंतरिक मूल्यांकन	फरवरी प्रथम सप्ताह 2021
5	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	मार्च प्रथम सप्ताह 2021
6.	स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	प्रथम वर्ष हेतु 22 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 द्वितीय वर्ष हेतु 16 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तृतीय वर्ष हेतु 05 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021
7	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	प्रथम वर्ष हेतु 01 अप्रैल 2021 से 05 अप्रैल 2021 द्वितीय वर्ष हेतु 26 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तृतीय वर्ष हेतु 16 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021
8.	वार्षिक परीक्षा	प्रथम वर्ष हेतु 06 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 द्वितीय वर्ष हेतु 01 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तृतीय वर्ष हेतु 22 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021
9.	अंतिम वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	15 मई 2021
	विश्रामावकाश	
1	दीपावली	दिनांक 11 नवम्बर से 17 नवम्बर 2020 तक (05 कार्य दिवस)
2	ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु)	17.05.2021 से 25.06.2021 (कुल 40 कार्य दिवस)

नोट :–सत्र 2020 के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाए।